कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / युगलपीठ / / /2025 दि0 लखनऊः अक्टूबर 09, 2025

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 1167 / 2025 दिनांक 28–08–2025 के द्वारा जनपद वाराणसी में युगलपीठ का गठन **दिनांक 27–10–2025 से 30–10–2025 एवं अयोध्या में युगल पीठ का गठन दिनांक 27–10–2025 से 29–10–2025** तक करते हुए, वाराणसी में युगलपीठ के सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2 कानपुर एवं न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, वाराणसी एवं अयोध्या में युगलपीठ के सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–3 लखनऊ एवं न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, लखनऊ को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ–1, वाराणसी के पत्र संख्या–663 दिनांक 30–09–2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि वह दिनांक 29–10–2025 एवं 30–10–2025 को व्यक्तिगत कार्य से अवकाश पर रहेंगें, जिस कारण से वह उपरोक्त अवधि में वाराणसी में गठित युगल पीठ में सम्मिलित होनें में असमर्थ हैं । सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–3 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–380 दिनांक 08–10–2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ होनें के कारण एवं अपनी माता जी की अस्वस्थता के कारण, अयोध्या में दिनांक 27–10–2025 से 29–10–2025 में गठित युगल पीठ में सम्मिलित होनें में असमर्थ है ।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1167 / 2025 दिनांक 28–08–2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, **जनपद–वाराणसी में दिनांक 27–10–2025 से 30–10–2025** तक गठित युगलपीठ एवं **जनपद–अयोध्या में दिनांक 27–10–2025 से 29–10–2025** तक गठित युगल पीठ, **तत्काल प्रभाव से निरस्त** की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-09.10.2025
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशो0 / 1312 / 2025 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ–1,2,3,4,5 व 6, वाराणसी।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, कानपुर ।
3– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अयोध्या ।
4– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व 3, लखनऊ ।
5– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
6– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता) / विवरण / वेव अधिकारी / नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।